(11)

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
20/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **आपूर्त्ति अपील सं0 61/2011** **बच्चा प्रसाद राय बनाम राज्य** **आदेश** यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 344 दिनांक 29/04/2011 के विरूद्ध दायर की गयी है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण 23/12/2010 को किया गया था, जिसमें दुकान बंद पाई गयी थी और अनियमितता के आरोप में कारणपृच्छा की गयी थी। तत्पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि निरीक्षण तिथि को अचानक तबीयत खराब होने के कारण चिकित्सक के पास जाना पड़ा था और इस संबंध में उनके पुत्र द्वारा निरीक्षण दल को सूचना दी गयी थी, जो कारणपृच्छा में अंकित की गयी है। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि उसकी वितरणी प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है और उन्होंने अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष कई उपभोक्ताओं के शपथ पत्रित बयान भी दाखिल किए थे, जिसमें सही मूल्य पर सही मात्रा में वितरण करने की स्वीकारोक्ति दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि प्रश्नगत आदेश साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि जाँच पदाधिकारी के दुर्भावनापूर्ण अनुशंसा मात्र पर आधारित है। राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश पूरी तरह वैधानिक है और आवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण और साक्ष्यों पर आधारित है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह सही है कि अभिलेख के अनुसार निरीक्षण तिथि को दुकानदार चिकित्सक के पास गए थें, जो निरीक्षण दल द्वारा भी अंकित है। अतः निरीक्षण तिथि को दुकान बंद पाये जाने को अनुज्ञप्ति रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने और निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में	

वितरण करने के आरोपों के पक्ष और विपक्ष में परस्पर विरोधी साक्ष्य है। प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन साक्ष्यों का गहन परीक्षण अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने साक्ष्यों से ज्यादा निरीक्षण पदाधिकारी की अनुशंसा पर बल दिया है। अनुशंसा स्वयं में प्रश्नगत आदेश का आधार नहीं बन सकता है, जब तक कि अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुशंसा के आलोक में स्वतंत्रत वैधिक निर्णय नहीं लेते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि प्रश्नगत आदेश वैधानिक प्रश्नगत से मान्य नहीं है। अतः उसे रद्द करते हुए अपील स्वीकार की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।